

# समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

— आदेश —

सरकार के अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 74/आ०प्र०, दिनांक- 21.01.2014 के चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना, मांग संख्या -39, उपशीर्ष -0101 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245807890101 राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद से मो0- 1,96,000/- (एक लाख छियानवें हजार )रु0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-


क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	जिला नजारत उपसमाहर्ता, मधेपुरा	शून्य	1,96,000/-	1,96,000/-
कुल योग :-			1,96,000/-	1,96,000/-

उपावंटन की शर्तें :-

- उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में किया जाना है।
- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना, मांग संख्या -39, उपशीर्ष -0101 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245807890101 राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद में मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी।
- उपआवंटित राशि का उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

①

5. उपावंटित राशि की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vocher Bill के माध्यम से ही की जाय । अपिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रवधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप दिनांक 15.03.2014 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.14 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।


  
 25/1/14  
 जिला पदाधिकारी,  
 मधेपुरा।

ज्ञापांक 23-2 दिनांक 25.1.14..

प्रतिलिपि : - जिला नजारत उप समाहर्ता , मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । विशेष कार्यपदाधिकारी , आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 60 आ0प्र0१ की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के क्षमता निर्माण हेतु भूकम्प एवं बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रशिक्षण दिनांक 26.01.14 से 30.01.14 एवं 31.01.14 से 04.02.14 तक कराना सुनिश्चित करेंगे एवं एन0डी0आर0एफ0 दल को दिनांक 05.02.14 को खगड़िया जाने हेतु वाहन की व्यवस्था करेंगे।

प्रतिलिपि : - कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / अपर सचिव, आपदा प्रबंधन ,  
 विभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

  
 25/1/14  
 जिला पदाधिकारी,  
 मधेपुरा।